

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 2113-2157

दिनांक : 27/6/2023


-: कार्यालय आदेश :-

में मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जुलाई, 2023** में पड़ने वाले विभिन्न राजपत्रित अवकाशों के लिए कोटा न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिकारीगण को अधिकृत करती हूं। निम्नांकित अधिकारीगण अपने न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा न्यायालय समय के पश्चात अपने आवास पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे व बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

कोटा मुख्यालय			
क्र.सं.	अवकाश तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	02.07.2023	श्री दिव्य मोहन गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (दक्षिण), कोटा	8112259184
2	08.07.2023	श्रीमती विभा आर्य अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 कोटा	8527560986
3	09.07.2023	श्रीमती विभा आर्य अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 कोटा	8527560986
4	16.07.2023	सुश्री प्रियंका मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 (उत्तर), कोटा	7727873999
5	22.07.2023	श्रीमती कुसुम मीणा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 कोटा	8287764226
6	23.07.2023	श्रीमती कुसुम मीणा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 कोटा	8287764226
7	29.07.2023	श्रीमती मनीषा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 (उत्तर), कोटा	8980520737
8	30.07.2023	श्री रजत गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 (दक्षिण), कोटा	9737824150

नोट:-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।



(श्रीमती मनीषा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

क्रमांक: 2113-2157

दिनांक: 27/6/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण को अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
3. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5/6/7/रेल्वे/(पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण)/किराया अधिकरण/रामगंजमण्डी/दीगोद/सांगोद कोटा।
4. प्रमुख मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर/दक्षिण, कोटा।
6. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5 (उत्तर) कोटा।
7. अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1/2/3/4/5 (दक्षिण) कोटा।
8. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-1/2/3/4 कोटा।
9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी/दीगोद/कनवास/इटावा कोटा।
10. ग्राम न्यायालय, इटावा/रामगंजमण्डी, कोटा।
11. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को ए.पी.पी. की इयूटी की व्यवस्था हेतु।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, कोटा।
13. नॉडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कम्प्यूटर कमेटी, कोटा।
14. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा।
15. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


(श्रीमती मनीषा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)
कोटा (राज०)

उपरोक्त सूचना को
(2023) 12/6